

26/5/17

प्रार्थी व उसके बकाए उपाध्याय/विपक्षी
उपस्थित/अनुपस्थित प्रकरण को लोक अदालत/
केम्प कोर्ट में रिकर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत
है अतः प्रकरण को लोक अदालत में रिकर किया
जाता है पक्षकारान दिनांक 1/6/17.....को
केम्प कोर्ट/लोक अदालत समक्ष उपस्थित रहें।

ए.सी.इ.एम.(FT)
जोधपुर

1/6/17

धनावली पेशा इष्टि । वकील प्राथी (कात्री)
ने जल आदेशा हि 16-5-2017 में बनाये लख्य
कि पूर्व में खलवाहकमिर्ति हो चुका है जिस
कारण अब इस प्रार्थना पत्र को ओर अगले
पक्षों का कोई आदेश्य मनी ही बनया ।

वकील प्राथी द्वारा जादिर लख्य अगुसर
मूल कात्र का मिर्ति हो चुके है वर्तमान में
यह प्रार्थना पत्र प्रेषणार्थ मनी है । अतः प्रार्थना
पत्र अस्मिन् द्वारा 212 ई.टी.एच. समावृत्त
ही जाने है धारिक किया जाता है । धनावली
अपने कसम होकर मान्य ही कस है।

1/6/17
जोधपुर

जोधपुर कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर

